[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the 29th June, 2020

G.S.R…….(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and Sub-section (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 , namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 (hereafter referred to as the said rules) in rule 4, in sub-rule (3), in clause (i), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of a —

(a) Government company in which the entire paid up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government and one or more State Governments; or

(b) subsidiary of a Government company, referred to in clause (a), in which the entire paid up share capital is held by that Government company,

a duly notarised indemnity bond in Form STK-3A shall be given by an authorised representative, not below the rank of Under Secretary or its equivalent, in the administrative Ministry or Department of the Government of India or the State Government, as the case may be, on behalf of the company;".

3. In the said rules, in Form STK 2, in the list of attachments, in serial number 4, at the end, the words "or by an authorised representative of administrative Ministry/Department in Form No. STK – 3A" shall be inserted.

4. In the said rules, after Form STK-3, the following Form shall be inserted, namely :-

"Form No. STK – 3A

Indemnity Bond

(To be drawn on Stamp Paper of appropriate value)

(To be given by the Authorised Representative of the administrative Ministry/Department)

[Pursuant to the proviso to clause (i) of sub-rule (3) of rule 4 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

To,

The Registrar of Companies,

I, the authorised representative* of the .... (name of the administrative Ministry/Department) for the .... (mention name of the Government company), incorporated on........................under the Companies Act, 2013 or Companies Act, 1956 having its registered office at........................, do hereby declare that the Government of India/State (name of the State to be mentioned in case the administrative Ministry/Department belongs to a State) hereby undertakes to indemnify : -

(i) the claimants for all lawful claims against the company arising in future after the striking off the name of the company;

(ii) any person for any losses that may arise pursuant to striking off the name of the company;

(iii) the claimants for all lawful claims and liabilities, which have not come to notice up to this stage, and if any claim arises or observed even after the name of the company has been struck off in terms of section 248 of the Companies Act, 2013.

Place:

Date:

Signature:

Official Seal:

Name, Father's name, Address and Designation:

* Authorisation received from the administrative Ministry/Department to furnish this Indemnity Bond shall be attached with this Form".

[F.No.1/28/2013-CL-V(Part)]

29/6/2020

K.V.R. Murty,
Joint Secretary to the Government of India

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1174(E), dated 26th December, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 355(E), dated the 12th April, 2017 and number G.S.R. 350(E), dated the 8th May, 2019.

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

*****

नई दिल्ली, तारीख: 29 जून, 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के, उप-नियम (3) के, खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु किसी:-

(क) सरकारी कंपनी जिसमें समस्त प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्रीय सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या केंद्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट, किसी सरकारी कंपनी की सहायक, जिसमें समस्त प्रदत्त शेयरपूंजी उस सरकारी कंपनी द्वारा धारित है,

की स्थिति में, प्ररूप एसटीके-3क में सम्यक् रूप से नोटरीकृत क्षतिपूर्ति बांड, कंपनी की ओर से, किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जो भारत सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी दशा हो, के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में अवर सचिव या समकक्ष के रैंक से नीचे न हो, दिया जाएगा।";

3. उक्त नियमों के, प्ररूप एसटीके-2 के, संलग्नकों की सूची में, क्रम संख्या 4 के, अंत में, "या प्ररूप संख्या एसटीके-3क में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, प्ररूप एसटीके-3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. एसटीके - 3क

क्षतिपूर्ति बांड

(समुचित मूल्य के स्टांप पेपर पर तैयार किया जाए)
(प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाए)
[कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 4 के उप-नियम (3) के खंड (i) के परंतुक के अनुसरण में]

सेवा में,

कंपनी रजिस्ट्रार,

1. मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन .... को निगमित .... (सरकारी कंपनी के नाम का उल्लेख करें) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है, के लिए .... (प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम) का प्राधिकृत प्रतिनिधि*, यह घोषणा करता हूं कि भारत सरकार/राज्य (किसी राज्य के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मामले में राज्य के नाम का उल्लेख किया जाए) यह क्षतिपूर्ति करने का वचन देती हैं कि:

   (i) कंपनी का नाम हटाने के पश्चात भविष्य में कंपनी के विरूद्ध होने वाले सभी विधिपूर्ण दावों के दावेदारों को;
   (ii) किसी व्यक्ति को जिसे कंपनी का नाम हटाने से कोई हानि हुई हो;

(iii) उन दावेदारों को उनके सभी विधिपूर्ण दावों और देयताओं के लिए जो अब तक नोटिस में नहीं आए हैं और यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के निबंधनों के अनुसार कंपनी का नाम हटाए जाने के पश्चात् भी कोई दावा उत्पन्न होता है या देखने में आता है।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर:

कार्यालय मोहर:

(नाम, पिता का नाम, पता तथा पदनाम)

*इस क्षतिपूर्ति बांड को प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से प्राप्त प्राधिकार-पत्र इस प्ररूप के साथ संलग्न किया जाएगा।"

[फा.स.1/28/2013-सीएल.V(पार्ट)]

के.वी.आर. मूर्ति
29/6/2020

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि.1174(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्याक सा.का.नि.355(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 तथा संख्यांक सा.का.नि.350(अ), तारीख 8 मई, 2019 द्वारा संशोधित किए गए।

******